

फैक्स/ई-मेल ✓

पत्रांक-5/2029 आ0 04/2014-15-..... 57 (5)/रा0.

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-..... 04-12-14

विषय :- मुख्य शीर्ष 2029-भू राजस्व 104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय माँग संख्या-40 विपत्र कोड-एन 2029001040001 के अन्तर्गत 1301 कार्यालय व्यय मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या-400(8)/रा0 दिनांक-26.11.2014 के आलोक में बिहार महादलित विकास योजना, गृह स्थल योजना तथा टी0 एस0 पी0 योजना अंतर्गत महादलित/सुयोग्य श्रेणी तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों के सर्वेक्षण कार्य हेतु 1301 कार्यालय व्यय मद में कुल 5340000/- (तीरपन लाख चालीस हजार) रुपये मात्र निम्न रूप से जिलावार आवंटित की जाती है।

क्र0	जिला का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित की जा रही राशि
1	2	3	4
1	पटना	230000	230000
2	नालन्दा	200000	200000
3	भोजपुर	140000	140000
4	बक्सर	110000	110000
5	कैमूर	110000	110000
6	रोहतास	190000	190000
7	गया	240000	240000
8	जहानाबाद	70000	70000
9	अरवल	50000	50000
10	औरंगाबाद	110000	110000
11	नवादा	140000	140000
12	भागलपुर	160000	160000
13	बांका	110000	110000
14	गुजपफरपुर	160000	160000
15	सीतामढ़ी	170000	170000
16	वैशाली	160000	160000
17	पूर्वी चम्पारण	270000	270000
18	प0 चम्पारण	180000	180000
19	शिवहर	50000	50000
20	सारण	200000	200000
21	सीवान	190000	190000
22	गोपालगंज	140000	140000
23	दरभंगा	180000	180000
24	मधुबनी	210000	210000
25	समस्तीपुर	200000	200000
26	मुंगेर	90000	90000
27	वेगूसराय	180000	180000
28	खगडिया	70000	70000

कृ०प०उ०

29	लखीसराय	70000	70000
30	शेखपुरा	60000	60000
31	जमूई	100000	100000
32	सहरसा	100000	100000
33	मधेपुरा	130000	130000
34	सुपौल	110000	110000
35	पूर्णियाँ	140000	140000
36	किशनगंज	70000	70000
37	कटिहार	160000	160000
38	अररिया	90000	90000
कुल—		5340000	5340000

(तीरपन लाख चालीस हजार) रुपये मात्र

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में की जायेगी।
3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि० (2)दिनांक-17.04.1998 एवं पत्र संख्या-6720/वि० दिनांक-25.07.2014 के आलोक में किया जा रहा है।
5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
6. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।
8-12